यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V राज्य कर, रूड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V राज्य कर, रूड़की के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तडियाल, लेखापरीक्षक श्री एस.एस.दरियाल, एवं श्री ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.12.2018 से 28.12.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.01.2018 से 06.02.2018 तक श्री वैभव शुल्क सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1674.24
2016-17	1848.00
2017-18	458.90

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V राज्य कर, रूड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 1: सीधे निर्यात के बिल ऑफ लेडिंग न होने पर कर का अनरोपण ₹ 19.84 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा 4 के अनुसार उपधारा (3) के प्रावधान किसी विक्रय अथवा क्रय पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि विक्रेता ब्यौहारी विहित अधिकारों को उस निर्यातकर्ता द्वारा सम्यक कर रूप से भरा गया तथा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, जिसे माल बेचा गया है, और जो विहित अधिकारों से अभिप्राप्त और विधिक प्रारूप में हो, विहित रीति से न दे दे।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर,रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सुरक्षा फार्मा प्रा0 लि0 टिन नं0 05006451010 दवाइयों के निर्माण व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013-14 में फार्म एच के सापेक्ष ₹ 450450/-एवं डायरेक्ट ₹ 39676781/ की दवाइयाँ एक्सपोर्ट की गयी थी। इसके अलावा अपनी ब्रांच हैदराबाद को ₹ 35534856/- एवं जयपुर को ₹ 10170629/- को स्टॉक ट्रांसफर किया गया था। स्टॉक ट्रांसफर के सापेक्ष प्रपत्र एफ एवं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के सापेक्ष प्रपत्र एच प्रस्तुत किया गया था। किन्तु दवाइयों के डायरेक्ट एक्सपोर्ट ₹ 39676781/ के सापेक्ष कोई बिल ऑफ लेडिंग प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी कर मुक्ति दी गयी थी। दवाइयों की सीधे एक्सपोर्ट बिक्री ₹ 39676781/ का साक्ष्य न होने पर 5% की दर से ₹ 1983839/- कर आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि बिल ऑफ लेडिंग एवं उसकी स्टेटमेंट से इन्वाइस नंबर एवं वस्तु का मूल्य से मिलान कराया गया ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि व्यापारी की हैदराबाद स्थित ब्रांच से निर्यात किया गया था, तो उसको फार्म "एच" प्रस्तुत करने पर ही करमुक्ति दिये जाने का प्रावधान है अन्यथा उक्त व्यापारी को बिल ऑफ लेडिंग प्रस्तुत करने पर ही करमुक्ति दी जाएगी।

अत: उक्त ₹ 19.84 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 2: मिथ्या प्रमाण पत्र "सी" देने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 13.98 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) के अनुसार रजिस्ट्री कृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- पंचम, राज्य कर,रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि

(1) सर्वश्री राज राजेश्वरी टेकनों फेब प्रा0 लि0 टिन 05006594570 जिप फास्टनर्स के निर्माण व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा निम्नलिखित खरीद के लिए प्रपत्र "सी" जारी किया गया था। जिसके लिए व्यापारी केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं था:-

वस्तुओं के नाम	प्रपत्र "सी" की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
WIRE	862227	13.5%	116401	174601
PET COKE (कोयला)	3438480	5%	171924	257886
Electric goods	737850	13.5%	99610	149415
LIME STONE	81324	5%	4066	6099
		योग	**392001**	**588001**

(2) सर्वश्री बंसल ट्रांसफार्मर प्रा0 लि0 टिन 05003934054 ट्रांसफारर्मस के निर्माण व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित खरीद के लिए प्रपत्र "सी" जारी किया गया था जिसके लिए व्यापारी केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं था:-

वस्तुओं के नाम	प्रपत्र "सी" की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
H R sheet, Iron Sheet	7464579	5%	373229	559843
Electric goods	1029142	13.5%	138934	208401
SRBP Tube	43650	13.5%	5892	8838
Cotten Tape	163030	13.5%	22010	33015
		योग	**796146**	**810097**

इस प्रकार उक्त दोनो व्यापारियों पर ₹ 1398098/- (588001+810097) अर्थदण्ड आरोपणीय था। जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि सभी वस्तुएं रॉ मेटेरियल,पैकिंग मेटेरियल एवं मशीनरी पार्ट्स से संबन्धित है, इसलिए आपत्ति निक्षेप योग्य है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वस्तुयें केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित होने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 13.98 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:1- स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 11.33 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (VII) (ख) के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत,यदि कर दस हजार रुपए से अधिक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) पंचम राज्य कर,रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न व्यापरियों द्वारा स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किया गया था:-

1-

व्यापारी का नामः- सर्वश्री किसान फिलिंग स्टेशन रुड़की **टिन नं0 05013845223** **कर निर्धारण वर्षः 2015-16**	माह	देय तिथि	जमा करने की दिनांक	कर की धनराशि	न्यूनतम अर्थदण्ड की धनराशि
	मई 15	20-06-15	30-06-15	800000	80000
	जून 15	20-07-15	03-10-15	500000	50000
	अगस्त 15	20-09-15	03-10-15	1000000	100000
	अक्तू0 15	20-11-15	21-12-15	691857	69186
	नव0 15	20-12-15	20-01-16	657708	65771
	दिस0 15	20-01-16	04-02-16	664417	66442
	जन0 16	20-02-16	09-03-16	500000	50000
	फर0 16	20-03-16	23-03-16	500000	50000
	मार्च 16	20-04-16	30-04-16	348832	34883
			योग	5662814	566282

2-

व्यापारी का नामः- सर्वश्री राज राजेश्वरी टेकनों फेब प्रा0 लि0 टिन नं0 05006594570 कर निर्धारण वर्षः 2013-14	माह	देय तिथि	जमा करने की दिनांक	कर की धनराशि	न्यूनतम अर्थदण्ड की धनराशि
	अप्रैल 13	25-05-13	04-06-13	63541	6354
	मई 13	25-06-13	04-07-13	142322	14232
	जून 13	25-07-13	01-08-13	188824	18882
	जुलाई 13	25-08-13	31-08-13	148888	14889
	अगस्त 13	25-09-13	05-10-13	196726	19673
	अक्तू0 13	25-11-13	27-11-13	191849	19185
	नव0 13	25-12-13	03-01-14	145802	14580
	दिस0 13	25-01-14	01-02-14	185020	18502
	जन0 14	25-02-14	28-02-14	142791	14279
	फर0 14	25-03-14	02-04-14	105658	10566
	मार्च 14	20-04-14	28-04-14	94786	9479
			योग	1606207	160621

3-

व्यापारी का नामः- सर्वश्री बंसल ट्रांसफार्मर प्रा0 लि0 टिन नं0 05003934054 कर निर्धारण वर्षः 2013-14	माह	देय तिथि	जमा करने की दिनांक	कर की धनराशि	न्यूनतम अर्थदण्ड की धनराशि
	जून 13	25-07-13	27-07-13	712766	71276
	जुलाई 13	25-08-13	27-08-13	323453	32345
	सित013	25-10-13	28-10-13	1180977	118098
	अक्तू013	25-11-13	28-11-13	1157320	115732
	मार्च 14	20-04-14	30-04-14	685413	68541
			योग	4059929	405992
		महायोग		**11328950**	**1132895**

उक्तानुसार तीन व्यापारियों द्वारा स्वीकृत कर ₹11328950/- विलम्ब से जमा करने पर ₹ 1132895/- विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि क्रम सं01 में स्वत: कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत वाद निस्तारित किया गया था। क्रम सं0 3 में समस्त कर ब्याज सहित जमा किया गया था। क्रम सं0 2 में समस्त कर 2-3 दिन विलम्ब से जमा किया गया था। इस सम्बन्ध में विभिन्न मा0 न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है, कि यदि स्वीकृत

कर विलम्ब से जमा किया गया है तब उस पर अर्थदण्ड की कार्यवाही उचित नही है इसलिए आपत्ति निक्षेप योग्य है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि क्रम सं0 1 में ब्याज जमा नहीं है और ब्याज जमा करने से अर्थदण्ड का औचित्य समाप्त नहीं हो जाता है

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 11.33 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 2: रियायती दर से क्रय माल को निर्माण में प्रयुक्त न करके रियायती दर से विक्रय पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 9.71 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (7) (डी) के अनुसार यदि किसी ब्योहारी ने, जिनके पक्ष में खंड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किए बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा ब्योहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा। जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अंतर से कम न होगी किन्तु ऐसे अंतर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) पंचम राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री बंसल ट्रांसफार्मर प्रा0 लि0 टिन 05003934054 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ट्रांसफारर्मस के निर्माण व बिक्री के लिए पंजीकृत है एवं कुछ वस्तुओं की खरीद-बिक्री के लिए अनुमति प्राप्त की गयी थी। लेकिन व्यापारी द्वारा खरीद-बिक्री एवं निर्माण खाता अलग- अलग प्रस्तुत नहीं किया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में रियायती दर 2% से ₹ 16339508/- का रॉ मेटेरियल खरीदा गया था। जिसमें से रियायती दर 2% से ₹11141110/- बिक्री की गयी थी। इस बिक्री में ₹ 355000/- का ट्रांसफारमर्स एवं ₹ 10786110/- का रॉ मेटेरियल अल्युमीनियम रोड की बिक्री की गयी थी। उपरोकतानुसार ₹ 10786110/- पर अंतरीय दर 3% (5-2) से ₹ 323583 का तीन गुना ₹ 970750/- अर्थदण्ड आरोपणीय था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

अत: उक्त ₹ 9.71 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:3- आई टी सी कम रिवर्स किया जाना एवं क्रय पर कर का अनारोपण ₹ 1.54 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 (8)(ख)एवं (च) के अनुसार माल किसी अपंजीकृत ब्यौहारी या ऐसे ब्योहारी जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया हो या माल जो विक्रय के रूप में अन्यथा राज्य के बाहर अंतरित होता है तो इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) (ख) के अनुसार पंजीकृत व्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से की गयी है और ऐसे माल के विक्रय पर कर विक्रेता पर उद्ग्रहीत नहीं किया जा सकता है चाहे इस अधिनियम के किसी उपबंध कीदृष्टि में या विक्रेता व्यौहारी ने कर का दायी होंने पर भी पंजीयन प्राप्त नहीं किया है, तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का दायी होगा यदि माल का विक्रय उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान नहीं किया गया हो।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- पंचम, राज्य कर,रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री रमेश ट्रेडिंग कम्पनी टिन 05004324964 दाल, चावल, गेहूं आदि की खरीद व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹1627615/-का चावल अपंजीकृत से क्रय किया गया था। इस खरीद पर कोई कर अदा नहीं किया गया था। इसलिए इस खरीद ₹ 1627615/- पर 5% ₹ 81381/- कर आरोपणीय था। व्यापारी द्वारा चावल की पंजीकृत की खरीद ₹ 4717618/- पर 5% की दर से ₹ 235880/- आई. टी. सी. क्लेम किया गया था। व्यापारी द्वारा ₹ 2731502/- का चावल का स्टॉक ट्रांसफर किया गया था। जो कि चावल की कुल बिक्री ₹ 6454278/- का 42.32 % था। इसलिए चावल पर कुल दावाकृत आई. टी. सी. ₹ 235880/- का 42.32% ₹ 99824 रिवर्स किया जाना अपेक्षित था। जबकि विभाग द्वारा ₹ 27574/- (235880 x 11.69 %) आई. टी. सी रिवर्स किया गया था। इस प्रकार ₹ 72250/- (99824-27574) कम रिवर्स किया गया था।

अत: व्यापारी द्वारा ₹ 153631/-(81381+72250) जमा किया जाना अपेक्षित है। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा चावल की अपंजीकृत क्रय एवं साथ ही पंजीकृत क्रय पर 3(10) तथा स्टाक ट्रांसफर किए जाने की स्थिति में ITC रिवर्सल पर जाँचकर आख्या प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त ₹ 1.54 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-140/2017-18	01	01,02	-

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V राज्य कर, रूड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अभय कुमार पाण्ड़ेय	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - V राज्य कर, रूड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र